13. **गंभीर रोगों के इलाज के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता देना** : भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को किसी सिविल/मान्यता प्राप्त अस्पताल के जनरल वार्ड में गंभीर रोगों का इलाज कराने के लिए कुल चिकित्सा व्यय के 60% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे रोगों के इलाज की वर्तमान दरें इस प्रकार हैं :—

(क) बाइपास सर्जरी (जिसमें एंजियोग्राफी जैसे प्रारंभिक परीक्षण भी शामिल हैं) 13,000 रु. से 21,000 रु. तक

(ख) एंजियोप्लास्टी 900 रु. से 5,500 रु. तक

(ग) किडनी/रेनल ट्रांसप्लांटेशन 9000 रु. से 48,000 रु. तक

(घ) कैंसर/स्क्लेरोटिक पैराप्लेजिक्स कुल व्यय का 60%

(ङ) कोरोनरी आर्टरी सर्जरी 4,500 रु.

14. **शैक्षिक रियायतें** : ऑपरेशन "पवन" और "मेघदूत" समेत युद्ध में वीरगति प्राप्त या अशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के जो बच्चे शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं वे निम्नलिखित शैक्षिक रियायतें पाने के हकदार हैं :—

(क) सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान द्वारा लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क की अदायगी से पूरी छूट ।

(ख) छात्रावास विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रावास का पूरा प्रभार वहन करने के लिए अनुदान ।

(ग) पुस्तकों तथा लेखन सामग्री पर होने वाला पूरा व्यय ।

(घ) जहां वर्दी आवश्यक हो वहां वर्दी की पूरी कीमत ।

15. **रेल यात्रा रियायत** : युद्ध में वीरगति प्राप्त जवान, जिसमें भारतीय शान्ति सेना बल के हताहत हुए जवान भी शामिल हैं, की पत्नियों को रेल में यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया दिया जाता है । यह रियायत केन्द्रीय सेवा बोर्ड द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र पेश करने पर ही दी जा सकती है । हाल ही में भारत सरकार ने परम वीरचक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीरचक्र कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र पाने वाले अफसरों को रेल से यात्रा करने पर रेल भाड़े में 50 प्रतिशत तक की रियायत देने की घोषणा की है ।

Rehabilitation Centres for War Widows in Maharashtra

2020. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) what are the locations of rehabilitation centres set up for the war widows in Maharashtra;

(b) what is the amount allocated to these centres during each of the last three years and what are the details of their activities;

(c) whether Government have received complaints or representations regarding improper functioning of these centres; and

(d) if so, the details thereof and also the action taken thereon ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR) : (a) No rehabilitation centre for the war widows exists in the State of Maharashtra.

(b) to (d) Do not arise.

Security Risk at Dabolim Naval Airport due to new construction

2021. SHRI JOHN F. FERNANDES : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of new construction coming up at Dabolin Naval Airport, overlooking the runway hardly 30 metres away from the take off area, which can pose a great risk to defence and VVIP aircraft;

(b) if so, whether the land around the airport has been frozen for such construction as per Civil Aviation norms; and

(c) what Government propose to do to rectify such security risk ?